Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर को पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र दुर्गूकोंदल में लौह अयस्क खनिपट्टा तक पहुंच मार्ग एवं पारेषण लाईन हेतु दुर्गकोंदल परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्र. 642 रकबा 1.788 हे. एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 876 रकबा 0.792 हे. वन भूमि कुल रकबा 2.580 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 29 ~~-03~~ 04-2024

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Addl. Chief Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest & Climate Change
Mantralaya, Naya Raipur (Atal Nagar)

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Additional Chief Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–07/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01-05-24 /~~03~~/2024

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for the Approach Road from mines to Public Road covers an area of 0.95 ha. and the Power Line covers an area of 1.62 ha. the Forest land is required for approach road and drawing overhead Power Line to our Mines, total area – 2.58 ha.regarding .

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–254/1159, दिनांक 17.06.2020, पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–254/1450, दिनांक 28.07.2020 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–254/162,दिनांक 20.01.2021 एवं पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–254/754, दिनांक 23.03.2023।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र – आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर को पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल में वन परिक्षेत्र दुर्गूकोंदल में लौह अयस्क खनिपट्टा आबंटित है जिसके लिये भारत सरकार ने उन्हें दिनांक 04.08.2014 को 76.5 हे. वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम की अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी। आवेदक संस्थान द्वारा खनिपट्टा तक पहुँच मार्ग हेतु एवं पारेषण लाईन हेतु दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र के आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 642 रकबा 1.788 हे. एवं संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक–876 रकबा 0.792 हे. वनभूमि कुल 2.580 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई है।	1
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) – आवेदक संस्थान द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/Approach/32947/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल द्वारा की गई है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 29,000/– कुल 35000 रू. जमा कराया गया है।	3
3	वन क्षेत्र का विवरण – पहुंच मार्ग एवं पारेषण लाईन हेतु दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 642 के 1.788 हे. एवं संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 876 के 0.792 हे. वनभूमि; कुल 2.580 हे. क्षेत्र का विवरण उपलब्ध है।	4

क्रमश : 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव अनुसार परियोजना में गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।	आवश्यकता नही है।
5	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	5 से 7
6	वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप – वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। इंडेक्स मैप के साथ एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी किया वन आवरण मानचित्र (1:15000), वन संनिधि मानचित्र (1:15000) एवं वन प्रकार मानचित्र (1:15000) संलग्न हैं।	8
7	प्रपत्र –4 में प्रस्ताव – प्रपत्र–4 में परियोजना की कुल लागत रू. 8.00 लाख है। वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर ने प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की है तथा यह उल्लेख किया है कि वन भूमि की आवश्यकता न्यूनतम है।	9 से 15
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – यूजर एजेंसी द्वारा परियोजना का विस्तृत टीप दिया गया है। Executive Summary संलग्न है।	16
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	17
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	18
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पहुँच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु प्रस्तावित है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 अनुसार पर्यावरण संरक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	19 एवं 20
12	वृक्ष विदोहन विवरण – मिश्रित प्रजाति के 53 नग वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनकी सूची प्रस्ताव में संलग्न हैं।	22 से 33
13	कास्ट/बेनिफिट ऐनालिसिस – प्रस्तावित क्षेत्र 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	34
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) – प्रस्ताव अनुसार परियोजना में गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।	35
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – प्रस्ताव अनुसार परियोजना में गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।	36

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना — पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत राजस्व वन भूमि कर्रामाड़ में खसरा क्रमांक 448 कुल रकबा 14.540 हे. में से 5.160 हे. क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन वर्तमान में लागू दर 726270/— प्रति हे. के मान से बनाया जाकर संलग्न है।	67 से 45
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र — राजस्व वन भूमि कर्रामाड़ में खसरा क्रमांक 448 कुल रकबा 14.540 हे. में से 5.160 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कराये जाने की अनापत्ति कलेक्टर कांकेर के पत्र दिनांक 09.01.2020 द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव पृष्ठ 48 पर है तथा स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा जारी किया गया है जो प्रस्ताव पृष्ठ 49 पर है।	37 से 49
18	अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण — वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है। वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीप संलग्न है।	50 एवं 51
19	अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण — लागू नहीं।	52
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही — लागू नहीं।	52
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र — वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन भूमि प्रस्तावित होने कारण लागू नहीं है।	लागू नही।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान — कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नही है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की टीप संलग्न है।	53
23	रिक्लेमेशन प्लान — माईनिंग प्रकरण नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की टीप संलग्न है।	54
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) — माईनिंग प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की टीप संलग्न है।	55
25	व्यवस्थापन प्लान — व्यवस्थापन प्लान की आवयकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की टीप संलग्न है।	56
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IVतक) — वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) संलग्न है। प्रपत्र II में वन मंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा अनुशंसा की गई है तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर ने वनो का घनत्व 0.6 लेख किया है। वन मंडलाधिकारी के अभिमत से मुख्य वन संरक्षक कांकेर ने निर्धारित प्रपत्र III में अपनी सहमति दर्शित करते हुए प्रस्ताव की अनुशंसा की है।	57 से 62

क्रमश : 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है परंतु 500 मीटर के दायरे में बंजारी माता का मंदिर स्थित है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	64
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र– प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप ग्राम दुर्गूकोंदल का ग्राम पंचायत का अनापत्ति संबंधी बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है।	65 से 67
29	जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) – प्रस्ताव अनुसार जिले की कुल वनभूमि 3358.370 वर्ग कि.मी. है।	78
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में कुल 1361.640 हे. वनभूमि प्रभावित है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की टीप संलग्न है।	79
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 1361.640 हे. दर्शित है।	80
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – आवेदित वनभूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की टीप संलग्न है।	81
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्तावित क्षेत्र खनन हेतु प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है, वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की टीप संलग्न है।	82
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी किया गया वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.2020 तथा अनुविभाग स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण एवं संबंधित ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण संलग्न है।	83 से 87
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित वन होने के कारण कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की टीप संलग्न है।	88
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	89
37	Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA: Remittances of precede 2 nd stage Clearance – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	90

क्रमश : 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/ टीप
38	A detailed note on soil productivity or the lack of it – प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पहुंच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार के लिये है आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक 642/ पी 876 के कुल रकबा 2.58 हे. क्षेत्र में प्राकृतिक पुनर्रोत्पादन स्थिति सामान्य है। क्षेत्र पहाड़ी एवं पथरिली होने के कारण जैविक दबाव लगभग शून्य है। आवेदित क्षेत्र का औसत घनत्व 0.6 हे. है।	91
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना की भूमि पर किसी भी अन्य प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जायेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	92
40	Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)– लागू नहीं ।	93
41	पंजीयन कमांक – विस्तृत विवरण चेक लिस्ट क्रमांक–2 पर है।	3
42	वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेष कर खनन प्रकरणों में) – आवश्यकता नहीं है। चूंकि पूर्व में स्वीकृत वन भूमि के लिये पहुंच मार्ग तथा पारेषण लाईन विस्तार किया जाना है अतः प्रस्ताव में कोई अभिमत नहीं दिया गया है।	निर्धारित 44 बिंदुओं की चेक लिस्ट में उक्त बिंदु का संबंध केवल खनन प्रकरणों के लिये है। अतः आवश्यकता नही है।
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – विद्युत लाईन खनिपट्टा क्षेत्र के अनुसार निर्माण की जानी है अतः तीन विकल्प का परीक्षण प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है।	संलग्न है।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण – निरंक।	निरंक

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

01/05/24

(के.एल.मांझी)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः : 6

पृ.क्रमांक एफ–5–07/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01 /05/2024

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, I

2.मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर छत्तीसगढ़ I

3.वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल छत्तीसगढ़ I

4.आवेदनकर्ता, मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ I

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित I

01/05/24

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग